न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/1048

1. हीराराम पुत्र रेखाराम
2. रामनाथ सिंह पुत्र रेखाराम
3. अमित पुत्र हीराराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम प्रतापपुरा (बग्गड) तहसील व जिला झुंझुनूं।

– अपीलान्टस्

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. तहसीलदार झुंझुनूं, तहसील झुंझुनूं।
3. रणधीर सिंह पुत्र श्री सुरजन सिंह,
4. नेकीराम पुत्र श्री सुरजन सिंह,
5. मनीष कुमार पुत्र स्व. श्री जयप्रकाश,
6. महेश कुमार पुत्र श्री शिवनारायण,
7. सुरेश कुमार पुत्र श्री शिवनारायण,
8. ओमप्रकाश पुत्र श्री शिवनारायण,
9. रमाकान्त पुत्र श्री शिवनारायण,

समस्त निवासीगण प्रतापपुरा, तहसील व जिला झुन्झुनूं।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं निर्णय दिनांक 30.05.2022 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 एल.आर.एक्ट उनवानी रास्ता प्रकरण, मुकदमा नंबर 72/2021 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री हेमन्त दीक्षित, वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 की ओर से।
3. श्री दुष्यन्त कुमार अग्रवाल, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 9 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 27.04.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 30.05.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 28.06.2022 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार झुन्झुनूं, के द्वारा "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021" कैम्प मुकाम प्रतापपुरा में दिनांक 01.02.2022 को पटवार मण्डल प्रतापपुरा के राजस्व ग्राम प्रतापपुरा तहसील झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं में रामनाथ सिंह पुत्र रेखाराम से रणधीर के कुएं तक जाने वाले प्रचलित रास्ते के भूमि खसरा नम्बर 144, 427/142, 142, 140, 426/137, 422/132, 132, 135, 425/122, 122 में स्थित है। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार मौके पर रास्ता चालू होना बताया गया। तहसीलदार झुन्झुनूं के अनुसार प्रचलित रास्तों को रिकार्ड में दर्ज किये जाने पर किसी भी पक्षकारान के हक हिस्सों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडता है बल्कि पक्षकारों के मध्य आपसी विवाद नहीं होने की संभावना होती है। तहसीलदार झुन्झुनूं ने सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी, अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मय रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा रिपोर्ट व प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं को भिजवाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं ने राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 3(2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग का परिपत्र क्रमांक प.3(17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 की रोशनी में जनहित व विधिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार झुन्झुनूं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र बाबत कदीमी रास्तों को रिकार्ड में दर्ज किये जाने के लिये तहसीलदार झुन्झुनूं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झुन्झुनूं को आदेशित किया गया कि वे मुताबिक रास्ता वर्णित खसरा नम्बरों के विरूद्ध किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक रास्ता प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने, प्रस्ताव आदेश का भाग रखने, प्रचलित रास्ते का रकबा जो खातेदारी भूमि में पड रहा है वह गैर मुमकिन रास्ता दर्ज होने के उपरान्त निजी खातेदारी में ही रखने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2022 पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के उक्त निर्णय दिनांक 30.05.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट हीराराम पुत्र रेखाराम वगैरह द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं दिनांक 30.05.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आज्ञा जैर अपील पूर्णतया विधि विधान पत्रावली एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण पूर्णतया क्षेत्राधिकार–विहीन एवं एकपक्षीय होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। प्रार्थीगण अपीलान्टस् विवादित कृषि भूमि खसरा नंबरान 144, 427/142, 122, 137, 422/132 एवं 142 स्थित ग्राम प्रतापपुरा (बग्गड) तहसील झुंझुनूं जिला झुंझुनूं के काबिज रिकार्डेड खातेदार है तथा विद्वान एस.डी.ओ. ने अपीलान्टस् को बिना कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एकपक्षीय रूप से राजस्व रिकार्ड व नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का जो एक पक्षीय आदेश पारित किया है, वह पूर्णतया एक पक्षीय, क्षेत्राधिकार विहीन एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्वांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू की ओर भी कतई कोई ध्यान नहीं दिया कि नया रास्ता दर्ज करने का धारा–251 राज० टिनेन्सी एक्ट में तहसीलदार को एवं धारा 251 (ए) राज० टिनेन्सी एक्ट में एस.डी.ओ. को अधिकार केवल सभी खातेदारों को सुनवाई का मौका देकर उचित शुल्क जमा करने पर अधिकार प्राप्त है, अन्यथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आज्ञा जैर अपील सरासर कानून के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। विद्वान उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं द्वारा पारित आज्ञा जैर अपील पूर्णतया अतार्किक एवं कपोल–कल्पित, मनगढन्त एवं एक पक्षीय आज्ञा की परिभाषा में आने से निरस्तनीय हैं। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू की और भी कतई ध्यान नहीं दिया कि प्रार्थीगण अपीलान्टस् विवादित कृषि भूमि खसरा नंबरान 144, 427/142, 122, 137, 422/132 एवं 142 ग्राम प्रतापपुरा (बग्गड) का काबिज रिकार्डेड खातेदार–काश्तकार है। एवं अपीलान्टस् काबिज खातेदार–काश्तकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तथा उनके नोटिस विधिवत रूप से व्यक्तिगत तामील कराये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने जो आज्ञा गैर अपील पारित की है, वो सरासर कानून के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में कहीं भी यह प्रावधान पारित नहीं किये गये है कि खातेदार काबिज काश्तकार को बिना कोई नोटिस जारी किये ही तथा बिना सुनवाई

का अवसर प्रदान किये ही एक पक्षीय रूप से कोई कदीमी रूप से चालू व स्थाई या कच्चा रास्ता चालू नहीं होते हुए भी राजस्व रिकार्ड एवं नजरी नक्शे में खातेदार काबिज व्यक्ति को कृषि भूमि में से गै०मु० रास्ता दर्ज कर नक्शे में गै०मु० रास्ता दर्ज कर दिया जावें, इस कारण भी आज्ञा जैर अपील एस0डी०ओ0, झुंझुनूं जिला झुंझुनूं पूर्णतया न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत तथा कानून के सर्व मान्य सिद्धान्तों के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू की और भी कतई ध्यान नहीं दिया कि राज० भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 एवं 132 तथा राज० लैण्ड रिकार्ड रूल्स (भू–राजस्व व भू–अभिलेख नियम, 1957) के नियम 58 से 60, 66 व 66–ए में कहीं भी यह प्रावधान नहीं दिये है कि किसी भी काबिज रिकार्डेड खातेदार को बिना कोई नोटिस अथवा सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही उसकी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में से राजस्व रिकार्ड व नजरी नक्शे में गै०मु० रास्ता दर्ज कर दिया जावे तथा मौके पर रास्ता चालू कर दिया जावे, इस कारण भी आज्ञा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं सरासर कानून के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

अधीनस्थ न्यायालय ने भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों का अवलोकन किये बिना ही मूल खातेदारान अपीलान्टस् (खातेदारान) को बिना सुने ही आज्ञा जैर अपील पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण की सही वस्तुस्थिति को समझे बिना ही एक परवर्स निर्णय पारित किया है, जो सरासर कानून के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आज्ञा पूर्णतया नॉन–स्पीकिंग, अतार्किक निर्णय की परिभाषा में आने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 72/2021 के अवलोकन से यह भली भांति सिद्ध होता है कि प्रकरण में अपीलान्टस् एवं अन्य खातेदारों को सुनवाई, जवाब, शाहदत, सबूत आदि प्रस्तुत करने का कतई कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने कुछ खातेदारों को अनुचित, अवैध लाभ पहुंचाने की दृष्टि से नया रास्ता मौके पर चालू करने के उद्देश्य से आज्ञा जैर अपील द्वारा प्रार्थीगण–अपीलान्टस् की खातेदारी, कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 144, 427/132, 122, 137, 422/132 एवं 142 ग्राम प्रतापपुरा (बग्गड) तहसील झुंझुनूं जिला झुंझुनूं के राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने की कार्यवाही की है, जो सर्वथा अवैध, गैर–कानूनी एवं क्षेत्राधिकार–विहिन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रास्ते संबंधी समस्याओं का निराकरण, 2016 में राज्य सरकार ने यह कहीं भी नहीं लिखा है कि खातेदार काबिज व्यक्ति को बेदखल करके उनके खेतों में नया रास्ता कायम कर दिया जावे, इस कारण भी प्रकरण को भली भांति समझे बिना ही आरबीट्रेरी–वे मे आज्ञा जैर अपील पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर कानूनी भूल की है।

अपीलान्टस्–प्रार्थीगण विवादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबरान 144, 427/142, 137, 122, 422/132 एवं 142 ग्राम प्रतापपुरा (बग्गड) तहसील झुंझुनूं जिला झुंझुनूं के काबिज खातेदार–काश्तकार है तथा उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं ने अपनी आज्ञा जैर अपील दिनांक 30.05.2022 के द्वारा अपीलान्टस् प्रार्थीगण की कब्जे खातेदारी की भूमि में से बिना अपीलान्टस् को सुनवाई का मौका व बगैर नोटिस तामील करवाऐं ही एक पक्षीय रूप से राजस्व रिकार्ड, नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करते हुए मौके पर रास्ता चालू करवाने के आदेश पारित कर दिये, उक्त निर्णय जैर अपील से अपीलान्टस् के हितो पर कुठाराघात होता है तथा अपीलान्टस् प्रार्थीगण उक्त आज्ञा से व्यथित, प्रभावित एवं एग्रीव्ड पक्षकार है, इसलिये उन्हें न्याय हित में उदारता का रूख अपनाते हुये अपील पेश करने की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक हैं। किसी भी प्रकरण को तकनीकी बिन्दू पर समाप्त नहीं करके गुणावगुणों (मैरिट) पर ही न्याय की मंशा हैं। प्रार्थना पत्र धारा 96 एवं 151 सी.पी.सी. मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्टस् प्रार्थीगण को उक्त अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते हुये

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील का निर्णय गुणावगुणों (मैरिटस्) पर किये जाने की कृपा करें। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस् स्वीकार की जाकर आज्ञा जैर अपील उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं बाबत मुकदमा नंबर 72/2021, "रास्ता प्रकरण" निरस्त फरमाई जाकर प्रकरण पुनः दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये रिकार्ड एवं मौके की सही वस्तुस्थिति का अध्ययन व अवलोकन करते हुये न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों के अनुसार निर्णित किये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं को प्रतिप्रेषित (रिमांड) फरमाया जाये एवं अन्य कोई भी उचित एवं आवश्यक अनुतोष जो न्यायालय हाजा प्रार्थीगण /अपीलान्टस् के पक्ष में आवश्यक समझे, प्रदान फरमावें तथा प्रार्थीगण/अपीलान्टस् की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बरान 144, 427/142, 122, 137, 422/132 एवं 142 ग्राम प्रतापपुरा (बग्गड) तहसील झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं के अलावा अन्य स्थान से रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान फरमावें।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2022 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 लगायत 9 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2022 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने के अधिकारी है। अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि तहसीलदार झुन्झुनूं के द्वारा "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021" कैम्प मुकाम प्रतापपुरा में दिनांक 01.02.2022 को पटवार मण्डल प्रतापपुरा के राजस्व ग्राम प्रतापपुरा तहसील झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं में रामनाथ सिंह पुत्र रेखाराम से रणधीर के कुएं तक जाने वाले प्रचलित रास्ते के भूमि खसरा नम्बर 144, 427/142, 142, 140, 426/137, 422/132, 132, 135, 425/122, 122 में स्थित है। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार मौके पर रास्ता चालू होना बताया गया। तहसीलदार झुन्झुनूं के अनुसार प्रचलित रास्तों को रिकार्ड में दर्ज किये जाने पर किसी भी पक्षकारान के हक हिस्सों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडता है बल्कि पक्षकारों के मध्य आपसी विवाद नहीं होने की संभावना होती है। तहसीलदार झुन्झुनूं ने सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी, अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मय रास्ता दर्ज करने अभिशंषा रिपोर्ट व प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं को भिजवाया गया।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं ने राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 3(2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग का परिपत्र क्रमांक प. 3(17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 की रोशनी में जनहित व विधिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार झुन्झुनूं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र बाबत कदीमी रास्तों को रिकार्ड में दर्ज किये जाने के लिये तहसीलदार झुन्झुनूं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झुन्झुनूं को आदेशित किया गया कि वे मुताबिक रास्ता वर्णित खसरा नम्बरों के विरूद्ध किसी

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक रास्ता प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने, प्रस्ताव आदेश का भाग रखने, प्रचलित रास्ते का रकबा जो खातेदारी भूमि में पड रहा है वह गैर मुमकिन रास्ता दर्ज होने के उपरान्त निजी खातेदारी में ही रखने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2022 पारित किये गये हैं।

हमारा विनम्र मत है कि अपीलान्टस् आराजी खसरा नम्बर 144, 427/142, 122, 137, 422/132 एवं 142 ग्राम प्रतापपुरा (बग्गड), तहसील झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के रिकार्डेड खातेदार कास्तकार हैं। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि अपीलान्ट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है जिसको सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना पक्षकार बनाये बिना आदेश पारित किया गया है। जो रास्ता कायम किया गया है वह कहाँ से कहाँ को जा रहा है तथा रास्ता खसरा नम्बर 137 के खेत के मध्य से किन कारणों से प्रदान किया गया है, यह भी स्पष्ट नही है। खेत के बीचो–बीच में रास्ता दिया जाना खेतों के संयुक्तिकरण के सिद्धान्त (Consolidation of land holding) के विपरित है। उपरोक्त तथ्यों के संबंध में कोई विवरण अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार झुन्झुनूं द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ते के सम्बन्ध में कोई मौका जांच नहीं की गई है केवल मात्र पटवारी द्वारा तैयार प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं ने प्राप्त रास्ता प्रस्ताव का अवलोकन किये बिना ही व मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2022 पारित किये गये है। अपीलान्टस् को सुना जाना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.05.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये मौका स्थिति का वास्तविक आंकलन कर उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना सुनिश्चित करते हुये प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.05.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये मौका स्थिति का वास्तविक आंकलन कर उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना सुनिश्चित करते हुये प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर